न किसानों को, जिनको ओला-वृष्टि से क्षति हुई है, मुआवजा दे क्योंकि अब किसान इतना दुखी हो गया है कि अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो भुखमरी से मौत भी हो सकती है।

(ii) REPAYMENT OF ARREARS TO SUGAR-CANE GROWERS IN UTTAR PRADESH

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश विशेषकर गोरखपुर जनपद में गन्ना किसानों के बकाये मूल्य के भुगतान के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान्, गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश को पश्चिम, मध्य एवं पूर्व तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन कहां तक न्यायसंगत है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। फिर भी सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की जो दयनीय दशा होती जा रही है, उस का मूल कारण सही समय पर सही मूल्य न देने के कारण हो रही है। यों तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपये आज भी गन्ना किसानों के गन्ना मिल मालिकों पर भुगतान के लिये बाकी पड़े हुए हैं, फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। श्रीमान्, आप का ध्यान खास कर मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव में स्थित एक गन्ना मिल-मालिक के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। केवल इस मिल पर क्षेत्रीय गन्ना किसानों का लगभग दो करोड़ रुपया आज भी बाकी पड़ा हुआ है। इस के कारण क्षेत्रीय किसानों की दशा अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। फलस्वरूप क्षेत्रीय किसानों में काफी असन्तोष व्याप्त है।

अतः आप के माध्यम से पुनः केन्द्रीय सरकार का ध्यान गन्ना किसानों की रक्षा के लिये अविलम्ब उन के बकाए धन के भुगतान के लिये आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के ऊपर दबाव डाल कर अवशेष बकाए धन का भुगतान करावे। धन्यवाद।

(iii) NEED FOR CONSTRUCTING A NEW BUILDING FOR P. AND T. DEPARTMENT AT LAKHISARAI (BIHAR)

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के मुंगेर जिला के लखीसराय अनुमंडल का प्रशासनिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व है। आबादी भी तकरीबन 80 हजार के आसपास है। यहां रेलवे का भी बहुत बड़ा जंक्शन है। गल्ले की भी बहुत बड़ी मंडी है। हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन है। परन्तु संचार की सुविधा नहीं रहने के कारण अनुमंडलीय स्तर पर जितना चतुर्दिक विकास होना चाहिये, वह अवरुद्ध हो गया है। लखीसराय टेलीफोन केन्द्र 1956 में स्थापित किया गया था। टेलीफोन केन्द्र के सभी पार्ट्स-पुर्जे तब से चले आ रहे हैं जो अब बहुत ही पुराने हो गये हैं। जिन का निर्माण या तो कम कर दिया गया है या बिलकुल ही बन्द सा हो गया है। यह एक्सचेंज 200 लाइनों का हस्तचालित एक्सचेंज है, जिस में 150 फोन कार्यरत हैं और जिस में बहुत से नम्बर खराब हैं। जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय योजना के अनुसार सभी हस्तचालित एक्सचेंज को स्वचालित करना है। अगर इसको स्वचालित किया जाए तो विभाग दोहरे खर्च से बच सकता है और साथ ही साथ व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इलाके का विकास तेजी से हो सकेगा। स्वचालित टेलीफोन पद्धति के अभाव में इस शहर का सम्बन्ध अन्य बड़े शहरों से जोड़ा

[श्रीमती कृष्ण साही]

नहीं जा सकता । पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का लखीसराय एक्सचेंज और इस के एम्पलाइज के लिये अपना भवन नहीं है । इसी कारण स्वचालित केन्द्र की स्थापना में कठिनाई है । टेलीग्राम भेजने की जो पुरानी पद्धति 50 वर्षों से चली आ रही है, वही पद्धति वर्तमान में भी चली आ रही है । अतः सरकार से निवेदन है कि पोस्ट आफिस एवं टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की कम्बाईण्ड बिल्डिंग बनाई जाये । जिस में पोस्ट आफिस और टेलीफोन केन्द्र दोनों की स्थापना की जा सके । जब तक कम्बाइण्ड बिल्डिंग वहां नहीं बन सकेगी तब तक न तो वहां हस्तचालित टलीफोन पद्धति स्वचालित पद्धति में बदली जा सकती है और न ही टेलीग्राम भेजने की पुरानी पद्धति की जगह नई पद्धति टेलीप्रिन्टर की स्थापना की जा सकती है । अतः इस विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

(iv) NEED FOR BANNING EMPLOYMENT OF CHILDREN IN FACTORIES.

श्री चन्द्रपाल शेलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष, महोदय, भारतीय संविधान में बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराने का निषेध किया गया है । भारत में कम से कम 2 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को बाध्य हैं । ये अधिकांश बच्चे निर्धन परिवारों के होते हैं । हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार चाय बागान, माचिस फैक्टरी, हथकरघा कालीन एवं मत्स्य उद्योग, होटलों, रेस्तरां मरम्मत की दुकानों तथा कृषि जैसे निजी क्षेत्रों में ही मुख्य तौर पर बाल मजदूरों को नियुक्त किय जाता है । एक सर्वेक्षण के अनुसार इन क्षेत्रों और विशषेकर चाय, बागानों, कालीन उद्योग और होटलों में बहुत अधिक शोषण होता है । बाल मजदूरों को प्रातः 5 बजे से रात्रि के 1 बजे तक काम करन पड़ता है । उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है, अर्थात् 25 रुपये प्रति माह । इसके अलावा बाल मजदूरों को जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार उन्हें खतरनाक रसायनों से काम करना पड़ता है । कारखाना अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की इन कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता और 14 से 15 वर्ष के बच्चों को पूरी डाक्टरी जांच के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु इस कानून का पालन नहीं किया जाता । लगभग 20,000 बच्चे केरल के कोयलर के आठ बड़े मत्स्य संसाधन संयंत्रों में काम करते हैं । उन्हे दस किलो मछली छीलने पर पन्नास पैसे दिये जाते हैं जबकि उन्हें सुबह चार बज से लेकर सायं सात बजे तक काम करन पड़ता है । बाल मजदूरों को खानों में भी काम करना पड़ता है । लड़कियों को भी नियुक्त किया जाता है । मेघालय की नीजी खानों में लगभग 28,000 बच्चे काम करते हैं । बम्बई में 14 वर्ष से कम आयु के 80,000 बच्चों को 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या की गंभीरता को समझे तथा इसके समाधान के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाये ।

(v) BEATING UP OF LAWYERS, EMPLOYEES AND GENERAL PUBLIC BY POLICE AFTER ENTERING COURTS IN AZAMGARH, UP.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 25 जनवरी, 1983, को आजमगढ़ में पुलिस ने दीवानी न्याया-